

वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर
(जिला सामान्य शाखा)

पत्रांक - 677 / जि०सा०, हाजीपुर, दिनांक - 6 7 22

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
-सह-

नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

विषय :- वनाधिकार अधिनियम 2006 (FRA, 2006) अंतर्गत कार्रवाई करने
के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली, वन प्रमंडल,
हाजीपुर के द्वारा मौजा-खरौना अलियास मिश्रौलिया, अंचल-लालगंज में खाता
संख्या-160, खेसरा संख्या-1012 पर रिटेल आउटलेट पम्प के निर्माण करने हेतु
0.024 हे० भूमि के अपयोजन हेतु प्रस्ताव प्राप्त है।

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली, वन प्रमंडल, हाजीपुर के
कार्यालय पत्रांक-235, दिनांक-30.01.2021 से प्राप्त प्रस्ताव को FRA, 2006
अन्तर्गत विधि-सम्मत निर्णय लेने के लिए भेजा जाता है।

अनुलग्नक :- (नक्शा-1 प्रति, FRA प्रमाण-पत्र का विहित प्रपत्र-1 प्रति)

विश्वासभाजन,


जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

कार्यालय जिला पदाधिकारी, वैशाली के तहत रैखिक परियोजना निर्माण
हेतु FRA, 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-
28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या, दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि वैशाली जिले में प्रयोक्ता एजेसी श्रीमती विनिता कुमारी द्वारा IOCL रैखिक परियोजना निर्माण स्थान खरौना अलियास मिश्रौलिया से प्रवेश एवं विकास पथ तक कुल कि०मी० 7.5 मीटर में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.024 हे० रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली, वन प्रमंडल, हाजीपुर के पत्रांक-235, दिनांक-30.01.2021 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तद्आलोक में प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक-13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान :- हाजीपुर

तिथि :- 6.7.22

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर
जिला पदाधिकारी
एवं मोहर

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per Census-2001 and the Census-2001

Place :- Hajipur

Date :- 6.7.22

District Magistrate
and office Seal